–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–12/2023 **(जीसीएमएस नं0 2023/12)**

उनवान –सरकार बनाम सन्तोष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 40 वर्ष जाति वेश्य मालिक विकेता मैसर्सः एस के एजेन्सी, मांगरौल रोड, मनियॉ, निवासी ब्रज कालोनी मांगरोल रोड मनियॉ जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

<u>निर्णय</u> **दिनांक –21.02.2024**

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 40 वर्ष जाति वेश्य मालिक विकेता मैसर्सः एस के एजेन्सी, मांगरौल रोड, मनियॉ, धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/52 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2022 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे कार्टून में लगभग 100 किलोग्राम धनियां पाउडर (चौबेजी) आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त धनियां पाउडर (चौबेजी) में मिलावट का शक होने पर उक्त धनियां पाउडर (चौबेजी) में से 500–500 ग्राम के चार पैकेट धनियां पाउडर (चौबेजी) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त धनियां पाउडर (चौबेजी) नमूना डी–2671 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/1232/एसीटी/2023/1233 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया धनियां पाउडर (चौबेजी) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड धनियां पाउडर (चौबेजी) का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी धनियां पाउडर (चौबेजी) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 40 वर्ष जाति वेश्य मालिक विकेता मैसर्सः एस के एजेन्सी, मांगरौल रोड, मनियॉ निवासी ब्रज कालोनी मांगरोल

Gm/

Scanned with CamScanner

-: राजस्थान सरकार:-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या 12/2023 उनवानी सरकार बनाम सन्तोष कुमार

(2)

रोड मनियाँ जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 25500/-रुपये (पच्चीस हजार पाँच सौ रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

Scanned with CamScanner